



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 जून 2026—आषाढ़ 8, शक 1948

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2026

क्रमांक टीएनसीपी/1/6/0006/2025:- मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिसके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन का अवसान होने के पश्चात् उक्त संशोधन प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसर होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,

(1) नियम 37 में, उपनियम (1) के पश्चात् 1 (क) अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

1 (क) विभिन्न परिक्षेत्रों में निषिद्ध भूमि उपयोग:-

प्रत्येक भूमि उपयोग परिक्षेत्र में समस्त उपयोग एवं गतिविधियाँ अनुमत मानी जाएँगी,

सिवाय उन उपयोगों एवं गतिविधियों के, जिन्हें संबंधित भूमि उपयोग परिक्षेत्र हेतु विनिर्दिष्ट निषिद्ध उपयोगों की सूची के अंतर्गत विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया हो। भूमि तथा भवनों का मिश्रित उपयोग, चाहे वह कृषि हो अथवा ऊर्ध्वाधर सभी भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में अनुमत होगा जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है।

विभिन्न परिक्षेत्रों में निषिद्ध भूमि उपयोग

अनुक्रमांक	क्षेत्र / भूमि उपयोग श्रेणी	सामान्यतः निषिद्ध भूमि उपयोग
1	आवासीय क्षेत्र	हानिकारक और खतरनाक उद्योग, भारी विनिर्माण उद्योग, गोदाम, प्रदूषणकारी उद्योग, बूचड़खाने, कबाड़खाने, संक्रामक रोग अस्पताल, कारागार, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यापार, तेल डिपो, पेट्रोलियम और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, सुअर पालन, दुग्ध उत्पादन और मुर्गी पालन, कब्रिस्तान, दाह संस्कार, श्मशान, विद्युत दाह संस्कार, खनन
2	वाणिज्यिक क्षेत्र	भारी उद्योग, खतरनाक/विषाक्त रसायनों का भंडारण, विस्फोटक भंडारण, थोक भंडारण डिपो, हानिकारक और खतरनाक उद्योग, भारी विनिर्माण उद्योग, बड़े पैमाने पर विनिर्माण, प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियाँ, खनन गतिविधियाँ, सुअर पालन, दुग्ध उत्पादन और मुर्गी पालन, कब्रिस्तान, दाह संस्कार, श्मशान, विद्युत दाह संस्कार
3	औद्योगिक क्षेत्र	पूर्णतः आवासीय टाउनशिप (अनुमत कर्मचारी आवास को छोड़कर), विद्यालय, हानिकारक और खतरनाक उद्योग, भारी विनिर्माण उद्योग, गोदाम, प्रदूषणकारी उद्योग, कसाईखाने, कबाड़खाने, संक्रामक रोग अस्पताल, कारागार, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यापार, तेल डिपो, पेट्रोलियम और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, सुअर पालन, डेयरी और मुर्गी पालन, संक्रामक रोगों के लिए, कारागार, असंबंधित वाणिज्यिक मनोरंजन उपयोग, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उपयोग, विरासत संरक्षण गतिविधियाँ

4	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्र	भारी वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियाँ, प्रदूषणकारी औद्योगिक उपयोग, खतरनाक पदार्थों का भंडारण, असंबंधित वाणिज्यिक दोहन, थोक बाजार, खनन, निष्कर्षण उद्योग, तेल डिपो, पेट्रोलियम और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, सुअर पालन, डेयरी और मुर्गी पालन, कब्रिस्तान, दाह संस्कार, श्मशान, विद्युत दाह संस्कार
5	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधा	पूर्णतः आवासीय बस्तियाँ, हानिकारक एवं खतरनाक उद्योग, भारी विनिर्माण उद्योग, गोदाम, प्रदूषणकारी उद्योग, बूचड़खाने, कबाड़खाने, संक्रामक रोग अस्पताल, थोक व्यापार, तेल डिपो, पेट्रोलियम एवं ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, सुअर पालन, दुग्ध उत्पादन एवं मुर्गी पालन, भारी विनिर्माण उद्योग, गोदाम
6	यातायात एवं परिवहन क्षेत्र	आवासीय बस्तियाँ, खतरनाक रसायनों का भंडारण, असंगत वाणिज्यिक गतिविधियाँ, प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियाँ, खनन गतिविधियाँ, सुअर पालन, दुग्ध उत्पादन एवं मुर्गी पालन, कब्रिस्तान, दाह संस्कार, श्मशान, विद्युत दाह संस्कार
7	मिश्रित क्षेत्र	हानिकारक एवं खतरनाक उद्योग, भारी विनिर्माण उद्योग, प्रदूषणकारी उद्योग, बूचड़खाने, कबाड़खाने, संक्रामक रोग अस्पताल, कारागार, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यापार, तेल डिपो, पेट्रोलियम एवं ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, सुअर पालन, दुग्ध उत्पादन एवं मुर्गी पालन, संक्रामक रोगों के लिए कारागार, कारागार, असंबंधित वाणिज्यिक मनोरंजन उपयोग पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उपयोग, विरासत संरक्षण गतिविधियाँ

8	मनोरंजन/हरित क्षेत्र	आवासीय बस्तियाँ, उद्योग, वाणिज्यिक परिसर, प्रदूषणकारी गतिविधियाँ, गोदाम, प्रदूषणकारी वाणिज्यिक गतिविधियाँ, खनन, खतरनाक भंडारण, असंबंधित वाणिज्यिक शोषण, थोक बाजार, खनन, निष्कर्षण उद्योग, तेल डिपो, पेट्रोलियम और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, सुअर पालन, दुग्ध एवं मुर्गी पालन, कब्रिस्तान, दाह संस्कार, श्मशान, विद्युत दाह संस्कार
9	जल निकाय/तालाब क्षेत्र	भूमि भराव, स्थायी निर्माण, औद्योगिक अपशिष्ट, डंपिंग, अतिक्रमण, खनन गतिविधियाँ, सुअर पालन, दुग्ध एवं मुर्गी पालन, कब्रिस्तान, दाह संस्कार, श्मशान, विद्युत दाह संस्कार
10	विरासत/संरक्षण क्षेत्र	बिना अनुमति के विध्वंस, असंगत ऊँची इमारतों का निर्माण, विशुद्ध आवासीय बस्तियाँ, प्रदूषणकारी उपयोग, हानिकारक एवं खतरनाक उद्योग, भारी विनिर्माण उद्योग, गोदाम, प्रदूषणकारी उद्योग, बूचड़खाने, कबाड़खाने, संक्रामक रोग अस्पताल, जेल, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यापार हानिकारक और खतरनाक उद्योग, भारी विनिर्माण उद्योग, गोदाम, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, बूचड़खाने, कबाड़खाने, संक्रामक रोग अस्पताल, जेल, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यापार, तेल डिपो, पेट्रोलियम और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, सुअर पालन, दुग्ध उत्पादन और मुर्गी पालन, कब्रिस्तान, श्मशान, दफन स्थल, विद्युत श्मशान

11	वन क्षेत्र	वन विभाग के प्रावधानों के अनुसार
12	कृषि क्षेत्र	शहरी आवासीय अभिन्यास, शहरी वाणिज्यिक परिसर, बड़े वाणिज्यिक परियोजनाएं, खतरनाक वाणिज्यिक उपयोग, उच्च घनत्व वाली आवासीय योजनाएं, भारी उद्योग, औद्योगिक संपदा, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, बड़े मॉल
13	ग्रामीण आबादी/चारदीवारी शहरी क्षेत्र	हानिकारक उद्योग, खतरनाक उद्योग, असंगत भारी औद्योगिक गतिविधियाँ, हानिकारक और खतरनाक उद्योग भारी विनिर्माण उद्योग, गोदाम, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, बूचड़खाने, कबाड़खाने, संक्रामक रोग अस्पताल, जेल, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यापार, तेल डिपो, पेट्रोलियम और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, सुअर पालन, दुग्ध उत्पादन और मुर्गी पालन, कब्रिस्तान, दाह संस्कार, श्मशान, विद्युत दाह संस्कार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रमोद शुक्ला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2026

क्र. टीएण्डसीपी-1-6-0006-2025.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. टीएण्डसीपी-1-6-0006-2025, दिनांक 29 जून 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रमोद शुक्ला, उपसचिव.

Bhopal, the 29th June 2026

No.TNCP/1/6/0006/2025:- The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the power conferred by section 85 read with sub-section (3) of section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person(s), with respect to said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the Government.

Draft of Amendment

In the said Rules:

(1) In rule 37, after sub-rule (1) of Rule 37, sub-rule 1 (a) shall be inserted, namely:—

1 (a)- Prohibited Land Uses in Different Zones:—

All uses and activities shall be deemed to be permissible in every land use zone, except those uses and activities that are specifically prohibited under the Negative List of Uses prescribed for the respective land use zone. Mixed use of land and buildings, whether horizontal or vertical, shall be permissible in all land use zones, in the manner and to the extent specified hereinbelow.

Prohibited Land Uses in Different Zones

S.No.	Zone / Land Use Category	Generally Prohibited Land Uses
1	Residential Zone	Obnoxious & hazardous industries, Heavy manufacturing industry, warehouses, polluting industries, slaughter houses, junk/scrap yards, infectious disease hospitals, prisons/jails, large transport terminals, Wholesale trade, Oil depot, Storage of petroleum and inflammable materials, Gas Godown, Piggery, Dairy and poultry industry, Cemetery, Cremation, Burial Ground, Electric cremation, mining.

2	Commercial Zone	Heavy industries, hazardous/toxic chemical storage, explosive storage, bulk storage depots, Obnoxious & hazardous industries, Heavy manufacturing industry, large-scale manufacturing, polluting industrial operations, mining activities, Piggery, Dairy and poultry industry, Cemetery, Cremation, Burial Ground, Electric cremation
3	Industrial Zone	Pure residential townships (except permitted staff housing), School, Obnoxious & hazardous industries, Heavy manufacturing industry, warehouses, polluting industries, slaughter houses, junk/scrap yards, infectious disease hospitals, prisons/jails, large transport terminals, Wholesale trade, Oil depot, Storage of petroleum and inflammable materials, Gas Godown, Piggery, Dairy and poultry industry, for contagious diseases, prisons, unrelated commercial entertainment uses, eco-sensitive uses, heritage conservation activities
4	Public and Semi-Public Zone	Heavy commercial and industrial activities Polluting industrial use, hazardous storage, unrelated commercial exploitation, wholesale markets, mining, extractive industries, Oil depot, Storage of petroleum and inflammable materials, Gas Godown, Piggery, Dairy and poultry industry, Cemetery, Cremation, Burial Ground, Electric cremation
5	Public utility and facility	Pure residential townships, Obnoxious & hazardous industries, Heavy manufacturing industry, warehouses, polluting industries, slaughter houses, junk/scrap yards, infectious disease hospitals, Wholesale trade, Oil depot, Storage of petroleum and inflammable materials, Gas Godown, Piggery, Dairy and poultry industry, Heavy manufacturing industry, warehouses,
6	Traffic and Transportation Zone	Residential colonies, hazardous chemical storage, incompatible commercial activities, polluting industrial operations, mining activities, Piggery, Dairy and poultry industry, Cemetery, Cremation, Burial Ground, Electric cremation
7	Mixed Zone	Obnoxious & hazardous industries, Heavy manufacturing industry, polluting industries, slaughter houses, junk/scrap yards, infectious disease hospitals, prisons/jails, large transport terminals, Wholesale trade, Oil depot, Storage of petroleum and inflammable materials, Gas Godown, Piggery, Dairy and poultry industry, for contagious diseases, prisons, unrelated commercial entertainment uses, eco-sensitive uses, heritage conservation activities
8	Recreation / Green Zone	Residential colonies, industries, commercial complexes, polluting activities, warehouses, polluting commercial activity, mining, hazardous storage, unrelated commercial exploitation, wholesale markets, mining, extractive industries, Oil depot, Storage of petroleum and inflammable materials, Gas Godown, Piggery, Dairy and poultry industry, Cemetery, Cremation, Burial Ground, Electric cremation

9	Water Body / Pond/Talav Area	Land filling, permanent construction, industrial discharge, dumping, encroachment, mining activities, Piggery, Dairy and poultry industry, Cemetery, Cremation, Burial Ground, Electric cremation
10	Heritage /Conservation Zone	Demolition without approval, incompatible high-rise development, Pure residential townships, polluting uses, Obnoxious & hazardous industries, Heavy manufacturing industry, warehouses, polluting industries, slaughter houses, junk/scrap yards, infectious disease hospitals, prisons/jails, large transport terminals, Wholesale trade Obnoxious & hazardous industries, Heavy manufacturing industry, warehouses, polluting industries, slaughter houses, junk/scrap yards, infectious disease hospitals, prisons/jails, large transport terminals, Wholesale trade, Oil depot, Storage of petroleum and inflammable materials, Gas Godown, Piggery, Dairy and poultry industry, Cemetery, Cremation, Burial Ground, , Electric cremation
11	Forest Zone	As per provision of forest department
12	Agricultural Zone	Urban residential layouts, Urban commercial complexes, large commercial projects, hazardous commercial uses, high-density residential schemes, heavy industry, industrial estates, polluting industries, large malls
13	Village Settlement /Walled City Areas	Obnoxious industries, hazardous industries, incompatible heavy industrial activities, Obnoxious & hazardous industries, Heavy manufacturing industry, warehouses, polluting industries, slaughter houses, junk/scrap yards, infectious disease hospitals, prisons/jails, large transport terminals, Wholesale trade, Oil depot, Storage of petroleum and inflammable materials, Gas Godown, Piggery, Dairy and poultry industry, Cemetery, Cremation, Burial Ground, Electric cremation

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

PRAMOD SHUKLA, Dy. Secy.